

201/133

# आदेश पत्रक

(नियम 13)

(General (Civil), Rule 103, Appendix 'B', Form No. 9)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी झुन्झुनू (राज.)

## बनाम

विनोद झाड़ि व 15 न.ए.पी.ए.ए.ए. उदयपुरवाटी

किस्म मुकदमा 51/11-11-20/11/11 नुम्बर 98/2021 सन् 136 LR Nepal

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
------	-----------------	------------------------------

20/9/2021 51/11-11-20/11/11 नुम्बर 98/2021 सन् 136 LR Nepal  
 51/11-11-20/11/11 नुम्बर 98/2021 सन् 136 LR Nepal  
 51/11-11-20/11/11 नुम्बर 98/2021 सन् 136 LR Nepal  
 51/11-11-20/11/11 नुम्बर 98/2021 सन् 136 LR Nepal  
 51/11-11-20/11/11 नुम्बर 98/2021 सन् 136 LR Nepal  
 51/11-11-20/11/11 नुम्बर 98/2021 सन् 136 LR Nepal

उपखण्ड अधिकारी  
 उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)

28/9/21 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय दारे पर है।  
 अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 12-11-21 को पेश हो।

12/11/21 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय दारे पर है।  
 अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 11-11-21 को पेश हो।

11.1.22

पत्रावली पेश हुई) नकील झाड़िगण न नडापी उपस्थित। नडापी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि झाड़िगण के पहचान दस्तावेज एवं ग्राम पंचायत छन्दु के प्रमाण-पत्र के आधार पर झाड़िगण का नाम दुर्लभत किया जाना उचित है जिसमें नडापी को कोई आपत्ति नहीं है। बहल प्रमाण हल पर लेन




आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
------	-----------------	------------------------------

की गई) पन्नावली एवं पन्नावली पर मौजूद दस्तावेजों का क्रमबद्ध किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहल पर मनन किया गया। पन्नावली का क्रमबद्ध करने एवं बहल पर मनन करने के पश्चात पाते हैं कि प्रार्थीगण का सही नाम किनोद, अनूप कुमार, धनराज पुत्र शिवप्रसाद, शान्ति पत्नी शिवप्रसाद हैं। उक्त विवेचन के प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्र. 136 LR Act स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गुमाना का बास पत्तार हल्का 133 तहसील उदयपुरवाड़ी की सरहद में स्थित भूमि ख. नं. 133 रकबा 0.0500 है, ख. नं. 134 रकबा 0.0600 है, ख. नं. 135 रकबा 5.2400 है, कुल क्रि. 3 कुल रकबा 5.35 है। भूमि में प्रार्थी सं. 1 का नाम महावीर. उल्लाह पुत्र शैलप्रसाद के बजाय किनोद पुत्र शिवप्रसाद, प्रार्थी सं. 2 का नाम अनूप पुत्र शैलप्रसाद के बजाय अनूप कुमार पुत्र शिवप्रसाद व प्रार्थी सं. 3 का धनराज पुत्र शैलप्रसाद की बजाय धनराज पुत्र शिवप्रसाद व प्रार्थी सं. 4 का नाम शान्ति देवी पत्नी शैलप्रसाद की बजाय शान्ति पत्नी शिवप्रसाद दुरुस्त। शुरू किए जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार गुदागंजी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्सूच बंदस्तुर रहेगी। निर्णय आज दिनांक 11.1.22 को खुले न्यायालय में हुआ। पन्नावली फाईल नुमांदा होकर नम्बर के कम हो एवं दाखिल पत्र हो।

समान्ती  
पुनर्विचार प्रार्थीगण  
के पदचार दाता  
उक्त ग्राम पंचायत  
के प्रमाण पत्र के  
आधार पर  
प्रार्थीगण का नाम  
दुरुस्त किया जाना  
उचित है। निर्णय  
प्रार्थी को को  
अपति नही।  
  
11/1/22

11.1.22